

कि०मि० संख्या-331 / 2023
लाल कुमार बनाम उत्तर प्रदेश राज्य आदि

04.06.2026

पत्रावली पेश हुयी। पत्रावली के अवलोकन से विदित है कि पत्रावली प्रार्थनापत्र दिनांकित 25.04.2023 से अ० धारा-5 अवधि अधिनियम के निस्तारण हेतु नियत चल रही है परन्तु विगत कई तिथियों से प्रार्थीगण की ओर से कोई भी प्रार्थनापत्र पर बल देने हेतु उपस्थित नहीं आ रहा है जब कि न्यायालय द्वारा उभयपक्ष की उपस्थिति हेतु पर्याप्त अवसर प्रदान किये गये है परन्तु वे उपस्थित नहीं हुये है। ऐसा प्रतीत होता है कि प्रार्थीगण अपने प्रार्थनापत्र पर बल देना नहीं चाहते है। निगरानी कालवाधित है। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थनापत्र बल न दिये जाने के कारण खारिज किया जाता है। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

अपर जिला जज, कोर्ट संख्या-2,
जनपद-अलीगढ़।